	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-11-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

वाद संख्या 13/दावा/2016
दायरा दिनांक 01/03/2016

पीठासीन अधिकारी
प्रमोद कुमार(RAS)

1. रामनिवास आयु 60 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी (राज.)
2. बाबूलाल आयु 45 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी (राज.)
3. प्रहलाद आयु 40 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी (राज.)

...वादीगण

बनाम

1. मोडू आ0 रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी (राज.)
2. पप्पू आ0 रामचन्द्र जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी।
3. कन्या बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी।
4. भूरी बाई पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी (राज.)
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी।

..प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टी0 एक्ट
व धारा 136 राज. लेन्ड रे. एक्ट

एडवोकेट– सुरेश कुमार वर्मा –वादीगण की ओर से

निर्णय **दिनांक 12.11.2020**

वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 तक ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी की खेवट खतौनी सं. नई 9 पुरानी 12 की कृषि भूमि खसरा नं. 695 रकबा .50 हेक्टेयर, खसरा नं. 701

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...ा 0.59 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.18 हेक्टेयर स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में कल्याण आ0 मांग्या हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 पर बतौर सहखातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। यह कि वाद विषयक आराजी के पुराने खसरा नं. 316/4 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 316/12 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 316/11 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा थे। जो वादीगण के पिता काल्या व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी सं. 4 के पति रामचन्द्र पिसरान मांग्या के खातेदारी मे दर्ज थी। वाद विषयक आराजी के पुराने राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के पिता का नाम काल्या आ0 मांग्या का हिस्सा 1/2 बतौर सहखातेदार कृषक के रूप में दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2014–2017 के पश्चात तैयार किये गये राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम सक्षम न्यायालय के आदेश व सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त आदेश के बिना काल्या आ0 मांग्या के स्थान पर कल्याण पिता मांग्या जानबूझकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूर्ववत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार नया रिकोर्ड कायम करने का अधिकार है न कि राजस्व रिकोर्ड मे फेर बदल करने का इस प्रकार उक्त त्रुटि सक्षम न्यायालय से दुरस्त कराये जाने योग्य है। वादीगण के पिता काल्या व उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है तथा वादीगण मृतक काल्या आ0 मांग्या के वैद्य वारिसान एवं उतराधिकारी होने से हिस्सा 1/2 पर सहखातेदार कृषक के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण द्वारा भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ से वाद विषयक आराजी के रिकॉर्ड में पिता का नाम दुरूस्त करने बाबत कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया गया वादीगण ने अंतिम बार दिसम्बर सन् 2015 के प्रथम सप्ताह में अंतिम बार निवेदन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने वादीगण को बताया कि सक्षम राजस्व न्यायालय से ही रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना सम्भव है। यही वाद कारण रहा। अन्त में निवेदन किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम कल्याण आ0 मांग्या के स्थान पर काल्या आ0 मांग्या दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। एवं 1/2 हिस्से पर बतौर सहखातेदार कृषक घोषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां/केशोरायपाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सं 1,2,4,5 बावजूद तामील सम्मन अनुपस्थित रहने से दिनांक 21.09.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी एवं प्रतिवादी सं 3 रजिस्टर तलबी पश्चात् दिनांक 19.07.2018 एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादीसंख्या 1 रामनिवास PW 1 साक्ष्य शपथपत्र पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श 1 , खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–2072 प्रदर्श 2,खसरा मिलान क्षेत्रफल सन 1995–2015 प्रदर्श 3, खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2022–2041 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2014–2017 प्रदर्श 5,पंचशाला जमाबन्दी प्रदर्श 6,जमाबन्दी सम्वत 2038–2041 प्रदर्श 7, पेश किए गये। तथा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, माता छोटी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र,वादी बाबू लाल का राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, वादी प्रहलाद का राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रतिया पेश की गई।

हमारे द्वारा वादीगण के विद्वमान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि वादीगण के पिता का नाम काल्या आ0 मांग्या है। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा वाद विषयक आराजी में कल्याण पिता मांग्या दर्ज कर दिया गया, जो लिपिकीय त्रुटि होने से गलत दर्ज हो गया और अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जावें।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2014–2017 ग्राम पचीपला खाता सं 11 जो प्रदर्श 5 है; का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का नाम काल्या आ0 मांग्या दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 6 पंचशाला जमाबन्दी में भी काल्या आ0 मांग्या दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी प्रदर्श 1 का अवलोकन करने पर वादीगण के पिता का नाम कालू के रूप में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रदर्श 2 का अवलोकन करने से वादीगण के पिता का नाम कल्याण आ0 मांग्या के रूप में दर्ज है। वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम कल्याण आ0 मांग्या [illegible] हो रहा है जो प्रथम दृष्टया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...पिकीय त्रुटि को प्रकट करता है। इस कारण वादीगण का वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 695 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नं. 701 रकबा 0.59 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.18 हेक्टेयर वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का नाम कल्याण आ0 मांग्या को विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण के पिता का नाम काल्या आ0 मांग्या दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। तथा वादीगण को वाद वर्णित आराजी का हिस्सा 1/2 पर बतौर सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2020 को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

FD. **डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई**

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.........................लाखेरी.............................

व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)...

..1.रामनिवास आयु 60 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा ...बनाम..1 मोडू आ0 रामचन्द्र जाति मीणा
तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी (राज.) PTO..
.............वादीगण........

निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील
2. पप्पू आ0 रामचन्द्र जाति मीणा
निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ
जिला बूंन्दी PTO प्रतिवादीगण..

दावा बाबत..88,89, आर0 टी0 एक्ट व 136 एल आर एक्ट

मुकदमा नम्बर...................................13/दावा/2016...............................सन..यह
मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........हमरे...व हाजिरी

..... सुरेश वर्मा एडवोकेट एडवोकेट.....................मिनजानिब मुद्दई रूबरू...
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 695 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नं. 701 रकबा 0.59 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.18 हेक्टेयर वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का नाम कल्याण आ0 मांग्या को विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण के पिता का नाम काल्या आ0 मांग्या दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। तथा वादीगण को वाद वर्णित आराजी का हिस्सा 1/2 पर बतौर सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिकी जारी हो। ....
....निज...मुबलिग.......
....बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......12.......माह.. ..11... सन...
2020......................को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा [illegible]		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.[illegible]		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का [illegible] ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

17

PTO

1. रामनिवास आयु 60 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी (राज.)
2. बाबूलाल आयु 45 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी (राज.)
3. प्रहलाद आयु 40 वर्ष आ0 कालू जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी (राज.)

...वादीगण

बनाम

PTO

1. मोड़ू आ0 रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी (राज.)
2. पप्पू आ0 रामचन्द्र जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी।
3. कन्या बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी।
4. भूरी बाई पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी (राज.)
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी।

..प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner